भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2942
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- सूखा और सिंचाई प्रबंधन

12942. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लद्दाख के अन्य भागों के साथ-साथ कारगिल जिले के सोध क्षेत्र को शीतकालीन बर्फबारी, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान के कारण बार-बार सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि और बागवानी पर पड़ने वाले प्रभाव का क्षेत्र-विशिष्ट आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ सर्वेक्षण दल भेजने का है;

(ग) क्या सोध और इसी प्रकार से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतत जल स्रोतों और उपयोग के अनुरूप सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजनाओं की पहचान की जाएगी; और

(घ) क्या लद्दाख के इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि और बागवानी उत्पादकता को फिर से बहाल करने के लिए आवश्यक अनुकूलता और समय पर वित्तीय सहायता के साथ उपयुक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) के अनुसार, हानि का आकलन और जमीनी स्तर पर राहत उपाय प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, अपने पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को भारत सरकार (जीओआई) की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। तथापि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन किया जाता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सूखे के लिए एनडीआरएफ के तहत सहायता हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना होता है।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, कारगिल जिले का उत्तरी भाग, जिसमें सोध क्षेत्र आता है, पारंपरिक रूप से शुष्क है और यहाँ कम हिमपात होता है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सोध सहित लद्दाख में बागवानी के लिए **सतत जल प्रबंधन पद्धतियों** को बढ़ावा देता है। इनमें ऊँचाई वाले क्षेत्रों की ठंडे रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए ड्रिप सिंचाई और वाटर लिफ्टिंग उपकरणों को बढ़ावा देना शामिल है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी केंद्र द्वारा प्रयोजित योजना के तहत जल प्रबंधन कार्यकलाप सहित विभिन्न बागवानी विकास कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये योजनाएँ सूक्ष्म सिंचाई, संरक्षित खेती और बागान विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के जलवायु-संवेदनशील और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बागवानी उत्पादकता में सुधार को बढ़ावा मिलता है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई) को 55% सब्सिडी के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ताकि कम उपलब्ध जल का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र शुष्क मौसम में बर्फ पिघलने को नियंत्रित करने के लिए शीतकाल में वर्षण को कलेक्ट करने और संग्रहित करने हेतु कृत्रिम ग्लेशियर जैसी हिम संचयन तकनीकों को भी बढ़ावा दे रहा है। कारगिल जिले के सोध क्षेत्र में लगभग 8.0 हेक्टेयर क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र योजना (एसडीपी) के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत लाया गया है।

आईसीएआर से प्राप्त सूचना के अनुसार, आईसीएआर की प्रमुख नेटवर्क परियोजना 'राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआर)' ने जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए भारत के 573 प्रमुख कृषि प्रधान जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया। एनआईसीआरए परियोजना के तहत, लद्दाख की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों में कम लागत वाली टनेल का उपयोग करके सब्जी की नर्सरी बनाना, नमी और ठंड के तनाव को कम करने के लिए गोभी में मल्चिंग करना, ग्रीष्म काल में सतत उत्पादन के लिए हाइब्रिड ब्रोकली, कम लागत वाली मशरूम यूनिट और आजीविका विविधीकरण के लिए वनराजा ब्रीड के अल्फाल्फा-मुर्गी पालन मॉडल शामिल हैं। लद्दाख में जल संकट को कम करने और कृषि एवं बागवानी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र के केवीके को एनआईसीआरए परियोजना के तहत जलवायु-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। आईसीएआर-सीएजेडआरआई ने सूखाग्रस्त लद्दाख के लिए उपयुक्त व्यापक शीत शुष्क जल प्रबंधन प्रशिक्षण का समर्थन किया, जिसमें प्लास्टिककल्चर और वाटरशेड तकनीकें शामिल हैं। आईसीएआर-सीएजेडआरआई ने लेह में उत्पादकता बढ़ाने के लिए टीएसपी परियोजना के तहत संसाधन प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया है।

***